

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, उन पर वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की उक्त धारा के अंतर्गत लगाए जाने वाले कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, यथा-

**सारणी**

क्र. सं.	प्रथम अनुसूची का अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल, चाहे डिगमंड हो या नहीं	5%
2.	1511 10 00	कच्चा पाम ऑयल	7.5%
3.	1512 11 10	सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल	5%

2. यह अधिसूचना 14 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी और 31 मार्च, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी -190354/226/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार